संख्या : 18/2017/157/छप्पन-2017-93/2015 टी0सी0-।।

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 फरवरी, 2017

विषय :वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष की मद में पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-632/ना0उ0नि0/लेखा/पुर्नविनियोजन/2016, दिनांक 19-01-2017 एवं पत्र संख्या-648/ना0उ0नि0/लेखा/पुर्नविनियोजन/2016, दिनांक 01-02-2017 में यह प्रस्ताव किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मदों में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार रूपये 42,00,000/- (रूपये बयालिस लाख मात्र) एवं रूपये 6,00,000/- (रूपये छ लाख मात्र) कुल रूपये 48,00,000/- (रूपये अडतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय :-

(क)

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय	धनराशि (हजार रूपये में)
01-वेतन	3500
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
49-चिकित्सा व्यय	500
कुल योग (रूपये बयालिस लाख मात्र)	4200

(ख)

2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय- 03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण	
01-वेतन	600
कुल योग (रूपये छ लाख मात्र)	600
महा योग (रूपये अड्तालिस लाख मात्र)	4800

-------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्तानुसार पुर्नविनियोग हेतु जिन बचतों का उल्लेख किया गया है, बचत की वे मदें उसी ग्रुप की हैं, जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21.6.2010 में यह विहित हैं कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर यदि किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों के योग के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर बजट उपलब्ध है और दावा सही है, तो ऐसे बिलों का कोषागार द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा, भले ही उस ग्रुप के अन्तर्गत किसी मानक मद में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा हो। किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों को अलग-अलग करके बजट की उपलब्धता न देखी जाय। स्पष्ट है कि प्रस्तावानुसार शासन स्तर से प्रश्नगत प्रकरण में पुनर्विनियोग की आवश्यकता परिलक्षित नहीं हो रही है। कृपया वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21.06.2010 की उक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 18/2017/157(1)/छप्पन-2017-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन टी0सी0-ई0वी-।,विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।